ले.प.प्रति.सं.-27/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कमांडेंट, होमगार्ड्स, जिला प्रशिक्षण केंद्र, रुद्रपुर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कमांडेंट, होमगार्ड्स, जिला प्रशिक्षण केंद्र, रुद्रपुर के 8/13 से 8/18 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल, व श्री पवन कोठारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेंद्र कुमार पांडेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 01.09.2018 से 07.09.2018 तक श्री नीरज च्रंगू, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- **परिचयात्मक-** इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री राम सनेही, व श्री टी. एस. नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा 22.08.2013 से 27.08.2013 तक सम्पन्न की गयी थी, जिसमे माह 06/2005 से 07/2013 तक के अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2013से 8/18 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र-रुद्रपुर

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नव्त हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	32.36	31.78	9.24	8.97	-	0.85
2016-17	-	-	38.63	38.63	10.21	10.21	-	-
2017-18	-	-	43.78	43.78	9.71	9.71	-	-
2018-19 (07/2018 तक)	-	-	67.06	25.35	1.8	1.10	-	-

(ब) Autonomous Bodiesविगततीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः-शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई "सी"श्रेणी की है।
विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

महा सेनानायक
उप सेनानायक
मंडलीय सेनानायक
जिला सेनानायक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कमांडेंट, होमगार्ड्स, जिला प्रशिक्षण केंद्र, रुद्रपुर** की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपाल को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कमांडेंट, होमगार्ड्स, जिला प्रशिक्षण केंद्र, रुद्रपुर** की लेखापरीखा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12/14 एवं 01/17 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।
(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम,1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II ‘अ‘

..............................शून्य................................

भाग 2 (ब)

<u>प्रस्तरः1-</u> शासनादेश लागू न किए जाने के कारण ग्रेड पे लाभ पाने से हवलदार प्रशिक्षक वंचित व शासनादेश का उल्लधंन।

हवलदार प्रशिक्षक की सीधी भर्ती हेतु उत्तराखण्ड रोजगार दर्शन की विज्ञप्ति संख्या 4057-4063-4070-4075/उप्राशिप/स0ग0भ0प0/2014 दिनांक 08-02-2014 तथा प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-03/xx(5)/17-20(ना0सु0)/2010 दिनांक 03-01-2017 द्वारा हवलदार प्रशिक्षक को रू0 5200-20200 ग्रेड पे-2000 में सीधी नियुक्ति होनी थी।

कार्यालय के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि होमगार्डस एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के आदेश सीजी-14/होगा/2017/813 दिनांक 31-08-2017 द्वारा पारित आदेश में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-328/xx(5)/16-16 (होगा) /2010 गृह अनुभाग-5 दिनांक 29 मार्च के द्वारा उत्तराखण्ड होमगार्डस विभाग में समूह-ग हवलदार प्रशिक्षक की सीधी भर्ती के पदों हेतु लिखित परीक्षा में सम्मिलित अभ्यार्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित कर शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीण अभ्यार्थियों के आधार पर सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ देहरादून के पत्रांक 1145/उप्राशिप/परीक्षा बाहय/2017.18 दिनांक 25-07-2018 के क्रम में हवलदार प्रशिक्षक के पद पर वेतनमान रू0 5200-20200 ग्रेड पे-1900 लेवल-2 में दिनांक 01-09-2017 को अस्थायी रूप से नियुक्ति की गई जो कि शासनादेश का सीधा उल्लधंन है, जिसके लागू न किए जाने के कारण ग्रेड पे लाभ पाने से लाभार्थी वंचित रह गए।

उपरोक्त के सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर लेखा परीक्षा को अवगत कराया गया कि प्रकरण के संबंध में मुख्यालय से पत्राचार किया जाएगा।

अतः शासनादेश लागू न किए जाने के कारण ग्रेड पे लाभ पाने से हवलदार प्रशिक्षक का वंचितरहना व शासनादेश का उल्लधंनका प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

<u>प्रस्तरः2(अ)-</u> नव निर्मित बैरक लागत रू 17.37 लाख का उद्देश्यों के अनुरूप उपयोग न लाना।

अभिलेखो मे पाया गया कि सेनानायक, प्रशिक्षण केन्द्र का कार्यालय प्रशिक्षण केन्द्र मे स्वय सेवको हेतु बनाई गयी बैरक मे चलाया जा रहा है जबकि इस सम्बंध मे जुलाई 2015 मे कमांडेंट जनरल, होम गार्ड्स, उत्तराखंड देहारादून मण्डलीय कमांडेण्ट द्वारा निर्देशित किया गया था कि कार्यालय को जिला सेनानायक उधमसिंह नगर कार्यालय मे स्थानान्तरित किया जाए। लेकिन कार्यालय द्वारा इन निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था व हल्द्वानी मे ही किराए के भवन में कार्यालय चलते रहे तदोंउपरांत स्वय सेवको हेतु बनाई गयी प्रशिक्षण केन्द्र रुद्रपुर मे नवनिर्मित बैरक मे कार्यालय को जून 2018 मे स्थानान्तरित किया गया। आगे अभिलेखों व पत्रावली में देखा गया कि नवनिर्मित बैरक मे कार्यालय स्थापना से बृहद प्रशिक्षण चलाया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि बैरक उपलब्ध न होने के कारण स्वय सेवको के लिए सोने व ठरने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त अभिलेखों में यह पाया गया कि कार्यालय द्वारा रू 93.85 लाख का आगणन प्रशिक्षण केन्द्र में बैरक, बाउंडरी वाल, खडंजा, बाथरूम, एवं सतरी पोस्ट के निर्माण हेतु शासन को भेजा गया था (अगस्त 2018-लेखा परीक्षा तिथि तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है) लेकिन उसी परिसर में कार्यालय भवन निर्माण हेतु कोई कार्यवाही सुनिश्चित नही की गयी थी। जिस कारण से कार्यालय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के मूल उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती है।

उपरोक्त के सम्बंध में उपरोक्त के सम्बंध में पूछे जाने पर अवगत कराया गया कि जिला प्रशिक्षण केंद्र एवं जिला कमांडेंट, होमगार्ड कार्यालय अलग अलग इकाई है। साथ ही साथ कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय में अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध नहीं है। कमांडेंट जनरल होमगार्ड महोदय के निर्देशानुसार जिला प्रशिक्षण केंद्र हल्द्वानी से नवनिर्मित भवन रूद्रपुर में स्थानांतरित किया गया है। वर्तमान में प्रशिक्षणार्थी की संख्या कम होने के कारण तथा सीमित बजट के कारण बैरक में कार्यालय चलाया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय को अवगत कराया गया है, तथा आगणन प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया है। उत्तर मान्य नही है क्योंकि कमांडेंट जनरल होमगार्ड के पूर्व में दिये गये निर्देशों का संज्ञान नहीं लिया गया था एवं नए

कार्यालय भवन हेतु कोई आगणन तैयार व मुख्यालय को भेजा गया है साथ ही नवनिर्मित बैरक में कार्यालय स्थापना से बृहद प्रशिक्षण चलाया जाना सम्भव नहीं है जिस कारण से प्रशिक्षण केन्द्रकी स्थापना के मूल उद्‌देश्यों की पूर्ति नही होगी।

अतः नव निर्मित बैरक का उद्‌देश्यों के अनुरूप उपयोग में न लाया जाना व दिशानिर्देशों का अनुपालन न किया जाना का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः2(ब)- शासनादेश के प्रावधानों के विपरीत भवन निर्मित किया जाना एवं निर्माण इकाई को लाभ पहुचाना।

सेनानायक, प्रशिक्षण केन्द्र, होम गार्ड्स, रुद्रपुर मे बैरक एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्याः350/XX**(5)**/16-49 दिनांक 2016/03/31 द्वारा ` 50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की थी। प्रस्तुत अभिलखो के अनुसार निर्माण कार्य हेतु 07/04/2016 पर ग्रामीण निर्माण विभाग, उधम सिंह नगर के साथ एम0ओ0यू0 किया गया था जिस के अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ 1/05/2016 व कार्य समाप्ति की निर्धरित तिथि 31/10/2016 थी। यह कार्य पूर्ण (नवम्बर 2017) किया जा चुका है। इस कार्य पर अवमुक्त धनराशि ` **50** लाख के विरुद्ध ` 49.50 लाख का व्यय किया गया था (एम० पी० आर० 2/2018 के अनुसार) लेकिन निर्माण इकाई ग्रामीण निर्माण विभाग**,** उधमसिंह नगर द्वारा अवशेष धनराशि ` 0.50 लाख कार्यालय को नहीं लोटाये थे।

कार्यालय मे उपलब्ध अभिलेखो के अनुसार भवन निर्माण कार्य मे निम्न तथ्य प्रकाश मे आये:

- निर्माण कार्य वर्ष विलम्ब से पूर्ण किया गया था लेकिन कार्यालय द्वारा इस सम्बंध मे एम0ओ0यू0 के क्रम संख्या 14 के विलम्ब के कारण देय प्रतिशत की कटौती नहीं की गयी थी।
- निर्माण इकाई द्वारा 5 बाथरूम के जगह मात्र 2 बाथरूम बनाए गए थे।
- नव निर्मित भवन मे शासनादेश के विपरीत रेम्प का कोई प्रावधान अथवा निर्माण नहीं किया गया था। जबकि शासन द्वारा इस सन्दर्भ मे अलग से स्पष्ट दिशानिर्देश दिये गए है।
- नव निर्मित सरकारी भवन मे वॉटर **harvesting** का न आगणन मे प्रविधान और न ही निर्माण किया गया है/था।
- उत्तराखंड मे सभी सरकारी भवनो मे सोर जल तापन प्रणाली का उपयोग अनिवार्य है लेकिन उक्त का भी आगणन मे प्रावधान अथवा सोर जल तापन प्रणाली नहीं लगाई गई थी।

उपरोक्त के सम्बंध मे पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा को अवगत कराया गया कि भवन निर्माण में विलंब होने के कारण निर्माण इकाई से देय प्रतिशत की कटौती के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। सरकारी भवन में सौर जल तापन प्रणाली का आगणन न किए जाने के संबंध में बताया गया कि भविष्य में इस पर ध्यान दिया जाएगा। सीमित बजट के कारण प्रावधान नहीं किया गया। नव निर्मित भवन में शासनादेश के विपरीत रेंप के विषय में बताया गया कि रेंप बनवा दिया जाएगा। सीमित बजट के कारण निर्माण नहीं हो पाया।

नव निर्मित भवन में water harvesting के संबंध में बताया गया कि भविष्य में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। सीमित बजट के कारण निर्माण नहीं हो पाया।
अत: शासनादेश के प्रावधानों के विपरीत भवन निर्माण लागत ` 50 लाख व निर्माण इकाई को लाभ पहुचाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः1- रू 4.74 लाख लागत की सरकारी सम्पत्ति को अन्यत्र रखा जाना एवं उक्त के संबंधी आवश्यक अभिलेख का रखरखाव न किया जाना।

कार्यालय सेनानायक, होमगार्डस, जिला प्रशिक्षण केन्द्र रूद्रपुर के लेखाभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय हल्द्वानी से रूद्रपुर शिफ्ट होने से लेखा परीक्षा तक जनरेटर को हल्द्वानी से रूद्रपुर शिफ्ट नही किया गया व सरकारी सम्पत्ति को अन्यत्र रखा गया था क्योकि इकाई द्वारा शिफ्टिग करने से पहले बजट प्रावधान हेतु मांग नहीं की गयी थी जो उचित नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभिलेखो मे यह तथ्य भी प्रकाश मे आया कि कार्यालय द्वारा आवश्यक अभिलेख जैसे कि जनरेटर का मूल्य, लॉगबुक,ए एम सी, वारंटी, रखरखाव के अभिलेख, लॉगबुक इत्यादि का रखरखाव भी नही किया था।

इस संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि अशोक लीलैंड कंपनी के डीलर से 22/5/18 को estimate लिया गया है तथा मुख्लायल को व्यय होने वाली धनराशि से अवगत कराया गयी है तथा 23/8/18 को पुनः पत्र प्रेषित किया गया है। इकाई द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि भविष्य में जनरेटरर से संबन्धित आवश्यक अभिलेख बनाये जाएगें। इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा के दावे की पुष्टि करता है कि जनरेटर से संबन्धित आवश्यक अभिलेख नही बनाये जा रहे है, शिफ्टिग करने से पहले बजट प्रावधान हेतु मांग नही की गयी थी तथा सरकारी सम्पत्ति को अन्यत्र रखा गया था, जो उचित नही माना जा सकता है।

अतः कार्यालय शिफ्ट होने के उपरांत सरकारी सम्पत्ति लागत रू 4.74 लाख को अन्यत्र रखा जाना व उक्त के संबंधी आवश्यक अभिलेख का रखरखाव न किया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:2- प्रशिक्षण केंद्र/संस्थान में प्रशिक्षण देने हेतु अति आवश्यक पद रिक्त।

कार्यालय के दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि प्रशिक्षण संस्थान होने के बावजूद रिक्त पदों में मुख्यतया वो पद शामिल है जो विभाग के योजनाओं के क्रियान्यवन व उद्देश्यों की पूर्ति कराता है। अभिलेखों के अनुसार इकाई में वर्ष 2014, वर्ष 2015 से लेखर वर्ष 2018 तक हवलदार प्रशिक्षक के पद पूर्णतः रिक्त रहे जिनके सापेक्ष स्वीकृत नियतन 17 पदों का था। जबकि इस अवधि में 670 होमगार्डस volunteers को प्रशिक्षण दिया जाना था। वर्तमान (अगस्त 2018) में स्वीकृत 17 पदों के सापेक्ष केवल 03 स्थायी प्रशिक्षकों कि नियुक्ति की गयी है, तथा शेष 06 प्रशिक्षक अन्यत्र से संबद्ध किए गए है। इसके अतिरिक्त कार्यालय में विभिन्न पदों में स्वीकृत नियतन के सापेक्ष रिक्तता पायी गई, जिसका विवरण संलग्न है।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त के सम्बंध इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा बताया गयी कि प्रशिक्षकों के पदों को भरने हेतु यथाशीघ्र पत्राचार किया जाएगा साथ ही अन्य रिक्तियों को भरने के लिए भी मुख्यालय से पत्राचार किया जाएगा। प्रशिक्षकों के पदरिक्त होने पर प्रशिक्षण अवधि में पुलिस अधीक्षक महोदय से पुलिस प्रशिक्षकों की मांग कर पुलिस प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि कार्यालय द्वारा प्रशिक्षकों के पदों को शीघ्र भरने हेतु मुख्यालय से कोई पत्राचार नहीं किया गया था साथ ही हवलदार प्रशिक्षकों की नियुक्ति किए बिना प्रशिक्षण संस्थान चलना अथवा संस्थान के उद्देश्यों कि पूर्ति पूर्ण रूप से माना नहीं जा सकता था/है।

उतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:3- अधिप्राप्ति नियमावली के विरूद्ध नियमानुसार क्रय न करना ₹ 2.04 लाख।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2015 के नियम 9 के अनुसार क्रय समिति के माध्यम से सामग्री क्रय के संबंध में वर्णित है कि प्रत्येक अवसर पर ₹ 50,000/- से अधिक तथा रू 3 लाख तक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय, विभागाध्यक्ष/कार्यलायाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है। इसके साथ ही निर्धारित प्रारूप मे प्रमाण पत्र संलग्न करना भी आवश्यक है।

कार्यालय के दस्तावेजों की जाँच के दौरान पाया गया कि तीस दिवसीय शिविर हेतु रू 75,420/- की गयी, का राशन दिनांक 08/01/2017 व रू 85,996/- की अन्य खरीद 09/01/2017 से 07/02/2017 तक की गयी, तथा रू 43,417/- की खरीद 21/02/2017 से 28/02/2017 तक 08 दिवसीय शिविर हेतु की गयी, जिसमे उक्त वर्णित नियम का पालन न करते हुए, सीधे विक्रेता से सामान का क्रय किया गया, तथा क्रय को विभाजित किया गया जो नियम विरुद्ध था।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि एक साथ ₹ 50,000 का क्रय नहीं किया गया है, अपितु अलग अलग करके क्रय किया गया है। इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा के दावे की पुष्टि करता है। शिविर पूर्व अनुमानित/स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार चलाये गए थे। तथा कार्यालय द्वारा क्रय अधिप्राप्ति नियमावली के नियमानुसार नही किया गया था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:4-</u> ₹ 33,235 के मूल्य की वस्तुओं का निष्प्रयोज्य रहना।

सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 196 के अनुसार "Disposal of Goods: (i) An item may be declared surplus or obsolete or unserviceable if the same is of no use to the Ministry or Department. The reasons for declaring the item surplus or obsolete or unserviceable should be recorded by the authority competent to purchase the item. (ii) The competent authority may, at his discretion, constitute a committee at appropriate level to declare item(s) as surplus or obsolete or unserviceable." तथा नियम 197 में निष्प्रयोज्य वस्तुओं के disposal के संबंध में वर्णन है कि " Modes of disposal : (i) Surplus or obsolete or unserviceable goods of assessed residual value above Rupees Two Lakh should be disposed of by : (a) obtaining bids through advertised tender or (b) public auction, and (ii) For surplus or obsolete or unserviceable goods with residual value less than Rupees Two Lakh, the mode of disposal will be determined by the competent authority, keeping in view the necessity to avoid accumulation of such goods and consequential blockage of space, and, also deterioration in value of goods to be disposed of. "

कार्यालय के निष्प्रयोज्य वस्तुओं से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय मे निष्प्रयोज्य पडी दो अलमारी जिनका खरीद मूल्य रू03300+3800=7100, चार सीलिंग फैन खरीद मूल्य रू0 405, दो कुर्सिया प्लास्टिक खरीद मूल्य रू. 250, दो फावडे खरीद मूल्य रू 130, दो बक्से खरीद मूल्य 945+1000=1945 तथा एक टैन्ट पूरा सैट रू. 23405 मूल्य की है जबकि नौ पीतल गिलास, दो थाली, एक पीतल का जग, एक घन्टा स्टेट, एक तराजू छोटी एक फायर स्टेट तथा तीन फायर बाल्टी जिनका मूल्य नही दर्शाया गया है।

उपरोक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि इस संबंध में कारवाई की जाएगी।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-**शून्य**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-2 ‘अ‘ प्रस्तर संख्या**	**भाग-2 ‘ब‘ प्रस्तर संख्या**	**STAN**

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः- शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कमांडेंट, होमगार्ड्स, जिला प्रशिक्षण केंद्र, रुद्रपुर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य**

2- सतत् अनियमिततायेः- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**	
			कब से	**कब तक**
1	श्री नवेन्दु तिवारी	कमांडेंट	23/1/14	3/7/14
2	श्री ललित मोहन जोशी	कमांडेंट	4/7/14	11/7/14
3	श्रीमती प्रतिमा	कमांडेंट	12/7/14	31/7/14
4	श्री दयानन्द सरस्वती	कमांडेंट	1/8/14	6/1/15
5	श्री ललित मोहन जोशी	कमांडेंट	7/1/15	26/1/15
6	श्री दीपक पंत	कमांडेंट	27/1/15	18/2/15
7	श्री ललित मोहन जोशी	कमांडेंट	19/2/15	27/7/15
8	श्री मदन मोहन पाठक	कमांडेंट	28/7/15	11/11/16
9	श्री ललित मोहन जोशी	कमांडेंट	12/11/16	30/6/17
10	श्री ललित मोहन जोशी	कमांडेंट	1/7/17	26/7/18
11	श्रीमती प्रतिमा	कमांडेंट	26/7/18	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कमांडेंट, होमगार्ड्स, जिला प्रशिक्षण केंद्र, रुद्रपुर**को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र